भारत सरकार

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 702

गुरुवार, दिनांक 21 जुलाई, 2022 को उत्तर दिए जाने हेतु

<u>पीएम-कुसुम का उद्देश्य</u>

702. श्रीमती सुप्रिया सदानंद सुले:
डॉ.डी.एन.वी. सेथिल कुमार एस:
श्री सुनील दत्तात्रेय तटकरे:
डॉ. अमोल रामसिंह कोल्हे:
श्री कुलदीप राय शर्मा: क्या नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने यह उद्देश्य को हासिल कर लिया है कि जिसके लिए प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा और उत्थान महाभियान (पीएम-कुसुम) योजना शुरू की गई थी और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान पीएम-कुसुम योजना के अंतर्गत निर्धारित और प्राप्त लक्ष्य क्या है;

(ग) पीएम-कुसुम के तहत सौर ऊर्जा चालित जल पंपों को संस्थापित करने में असमर्थता के क्या कारण हैं;

(घ) उक्त अवधि के दौरान पीएम-कुसुम के अंतर्गत महाराष्ट्र, तमिलनाडु तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कितने सौर ऊर्जा चालित जल पंप स्थापित किए गए हैं;

(ङ) सरकार द्वारा देश में सौर ऊर्जा चालित जल पंप निर्माण क्षमता को बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(च) क्या सरकार के पास आवश्यक निगरानी तंत्र हैं और सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए सक्रिय उपाय कर रही है कि सौर ऊर्जा चालित जल पंप भू-जल स्तर में कमी वाले जिलों में भू-जल स्तर को प्रभावित न करें और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) सरकार द्वारा विकेंद्रीकृत सौर ऊर्जा उत्पादन के लिए अन्य क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा तथा रसायन एवं उर्वरक राज्य मंत्री

(श्री भगवंत खुबा)

(क) और (ख): प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (पीएम-कुसुम) के उद्देश्यों में कृषि क्षेत्र को डीजल-मुक्त करना, किसानों की आय में वृद्धि करना और पर्यावरण प्रदुषण को कम करना शामिल है। इन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए, योजना के तहत निम्नलिखित लक्ष्य रखे गए हैं:

घटक-क: 10,000 मेगावाट के विकेन्द्रीकृत ग्राउंड-माउंटेड ग्रिड-संबद्ध सौर विद्युत संयंत्र।
घटक-ख: 20 लाख स्टैंड-अलोन सौर चलित कृषि पंपों की स्थापना।
घटक-ग: फीडर-स्तरीय सौरीकरण के माध्यम से सहित 15 लाख ग्रिड-संबद्ध कृषि पंपों का सौरीकरण।

पीएम-कुसुम एक माँग आधारित योजना है और राज्यों से प्राप्त मांग के आधार पर क्षमताएं आवंटित की जाती हैं। पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष में दिनांक 30.06.2022 तक घटक-वार आवंटित और हासिल क्षमता नीचे दी गई है:

घटक	स्वीकृत क्षमता	स्थापित क्षमता
घटक-क	4906 मेगावाट	56 मेगावाट
घटक-ख	3.59 लाख	1.23 लाख
घटक-ग	10.01 लाख	1047

(ग) यद्यपि सौर पंपों की स्थापना लगातार की जा रही है, फिर भी कोविड-19 महामारी के कारण कार्यान्वयन की गति काफी प्रभावित हुई है। आपूर्ति श्रृंखला में बाधाएं आने के कारण आई चुनौतियों और पूंजी एवं तरलता संबंधी मामलों के लिए कार्यान्वयन एजेंसी को भरपाई करने के लिए मंत्रालय ने कई समय-विस्तार किए हैं। उपर्युक्त चुनौतियों के बावजूद, पीएम-कुसुम योजना के घटक-ख के तहत दिनांक 30.06.2022 तक 1.23 लाख सौर पंप स्थापित किए गए हैं और घटक-'ग' के तहत 1047 ग्रिड संबद्ध पंपों को सौरीकृत किया गया है।

(घ) दिनांक 30.06.2022 तक पीएम-कुसुम योजना के घटक-ख के तहत महाराष्ट्र राज्य में 5822 और तमिलनाडु में 1766 सौर पंपों की स्थापना की गई है। महाराष्ट्र और तमिलनाडु राज्यों में योजना के घटक-ग के तहत मौजूदा कृषि पंपों का सौरीकरण नहीं किया गया है। इसके अतिरिक्त, मांग प्राप्त नहीं होने के कारण अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह में पीएम-कुसुम योजना के तहत सौर पंपों की स्थापना के लिए स्वीकृति नहीं दी जा सकी।

(ङ) पीएम-कुसुम योजना के निम्नलिखित प्रावधानों का उद्देश्य देश की सौर जल पंप निर्माण क्षमता में वृद्धि करना है: (i) योजना के तहत केन्द्रीय वित्तीय सहायता के माध्यम से 35 लाख पंपों की स्थापना अथवा सौरीकरण करने के लक्ष्य से आने वाले वर्षों में मांग प्राप्त होने की संभावना व्यक्त की गई है। (ii) घटक-ख और घटक-ग में शामिल होने के लिए घरेलू सामग्री आवश्यकता की शर्त (iii) घटक-ख और घटक-ग के तहत बोली प्रक्रिया में एकल बोलीदाता अथवा संयुक्त उद्यम के सदस्य के रूप में सौर पंपों/सौर फोटोवोल्टेक मॉड्यूलों/सौर पंप कंट्रोलर के निर्माताओं की सीधी भागीदारी।

(च) विशेषकर भू-जल स्तर में कमी वाले जिलों में, भू-जल स्तर को प्रभावित होने से बचाने के लिए केन्द्रीय भू-जल बोर्ड (सीजीडब्लूबी), जो भू-जल विकास एवं निकासी की निगरानी और नियंत्रण रखता है, द्वारा अधिसूचित डार्क जोनों/क्षेत्रों में योजना के तहत नए सौर पंप लगाने की अनुमति नहीं दी जाती। घटक-ख के तहत, केवल मौजूदा डीजल पंपों के स्थान पर सौर पंप लगाए जा सकते हैं और घटक-ग के तहत इन क्षेत्रों में मौजूदा इलेक्ट्रिक पंपों का सौरीकरण किया जा सकता है, बशर्ते कि उनमें जल की बचत करने के लिए माइक्रो सिंचाई तकनीकों का उपयोग किया गया हो। इसके अतिरिक्त, भूजल संरक्षित करने के लिए पीएम-कुसुम योजना में निम्नलिखित प्रावधान शामिल किए गए हैं: (i) स्टैंड-अलोन सौर पंपों की स्थापना और मौजूदा कृषि पंपों के सौरीकरण के लिए माइक्रो सिंचाई प्रणालियों का उपयोग करने वाले अथवा माइक्रो सिंचाई योजनाओं के तहत शामिल किसानों अथवा माइक्रो सिंचाई प्रणालियों का विकल्प चुनने वाले किसानों को वरीयता दी जाती है। (ii) स्टैंड-अलोन सौर पंप के आकार का चयन क्षेत्र में जल स्तर, शामिल भूमि तथा सिंचाई के लिए अपेक्षित जल की मात्रा के आधार पर किया जाता है। (iii) किसानों के पास विकल्प होता है कि वे व्यक्तिगत ग्रिड संबद्ध पंप सौरीकरण के तहत उत्पादित सरप्लस विद्युत को डिस्कॉमों को बेचकर उससे आर्थिक लाभ अर्जित करें। इसके अलावा, फीडर-स्तरीय सौरीकरण के तहत बेंचमार्क खपत से नीचे विद्युत की खपत के लिए किसानों को प्रोत्साहन राशि दी जाती है।

(छ) विकेन्द्रीकृत सौर विद्युत उत्पादन के लिए नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा किए गए/किए जा रहे उपायों में निम्नलिखित शामिल हैं: (i) पीएम-कुसुम योजना के घटक-क के तहत 2 मेगावाट क्षमता तक के ग्रिड संबद्ध सौर विद्युत संयंत्रों की स्थापना (ii) केन्द्रीय वित्तीय सहायता (सीएफए) प्रदान कर, पीएम-कुसुम योजना के घटक-ख के तहत स्टैंड-अलोन सौर पंपों की स्थापना और घटक-ग के तहत फीडर स्तरीय सौरीकरण के माध्यम सहित ग्रिड संबद्ध कृषि पंपों का सौरीकरण। (iii) आवासीय क्षेत्र में सीएफए प्रदान कर, सौर रूफटॉप चरण-II कार्यक्रम के तहत रूफटॉप सौर को बढ़ावा और डिस्कॉमों को प्रोत्साहन। (iv) वर्ष 2018-21 के दौरान कार्यान्वित ऑफ-ग्रिड और विकेन्द्रीकृत सौर पीवी अनुप्रयोग कार्यक्रम में सौर स्ट्रीट लाइटें लगाने और ऑफ ग्रिड सौर विद्युत संयंत्रों की स्थापना करने तथा सोलर स्टडी लैम्पों का वितरण करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की गई।

*****